प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा
की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 220 में –
स्थानीय विद्यालय राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा के नाम से राजस्व रेकार्ड दर्ज है। उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होके राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा हो गया है।

अतः श्रीमान गुड़ा के खा. सं. 220 में राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय की बजाय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय करने का आदेश फरमायें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
गुड़ा, खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

दिनांक : 16/11/2021

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम गुड़ा के ख्या.सं. 220 में संस्था का नाम राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा। दर्ज है वर्तमान में उक्त विद्यालय राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा के रूप में क्रमोन्नत है। अतः ग्राम गुडा के ख्यां.सं. 220 में दर्ज नाम राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा के बजाय सही इंद्राज राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा बाकी जमा० बदस्तूर किया जाना उचित है।

पाटीदार
15/11/21

(तुलसी ......)
15/11/21
पटवारी
पटवार मण्डल-......
तह. नयागाँव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम गुडा के खा. सं. 220 में अंकित राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च प्राथमिक विद्यालय गुडा के बजाय राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा दुरूस्त किया जाना उचित है।

16.11.21
तहसीलदार-नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

<u>आदेश</u>

तहसीलदार नयागाँव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा खाता स० ~~20~~ 220 में अंकित "राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा" के बजाय "राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-गुडा" के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागाँव को लिखा जावें।

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा.

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुड़ा.

–:आदेश:–

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ा व भू.अ.नि. पाटिया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सेलिसर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुड़ा तहसील नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 220 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुड़ा	220	राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा	राजकीय ~~आदर्श~~ उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा

(हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :– राजस्व/2021/110 दिनांक :– 18.11.2021.

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ———————————————— को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा